

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति


वाद सं०-70 / 2023

11.01.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता उत्तम कुमार साहा एवं अन्य ग्राम-लोगाई, पंचायत-पड़रिया, प्रखण्ड-राजमहल, जिला-साहेबगंज अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज आयोग कार्यालय में अनुपस्थित।

दोनों पक्ष अनुपस्थित रहे। मामले की अगली सुनवाई दिनांक-30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को निर्देश देता है कि आयोग के पिछले आदेश का अनुपालन कर प्रमाण पेश करें।


मामले की अगली सुनवाई दिनांक-30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक-30.01.2024 को रखें।



(शबनम परवीन)

सदस्य,

राज्य खाद्य आयोग, राँची।



(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,

राज्य खाद्य आयोग, राँची।